

## मेटिरियल सब्सिडरी

मेटिरियल सब्सिडरी का अर्थ भारत में स्थापित एक गैर सूचीबद्ध सहायक कंपनी है, जिसकी आय या निवल मूल्य (अर्थात् प्रदत्त पूंजी तथा फ्री रिजर्व) जो क्रमशः समेकित आय या निवल मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक है, की सूचीबद्ध कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनी का अगले ही लेखावर्ष में शामिल होगा।

## संबंधित पार्टी से लेनदेन

कंपनी संबंधित पार्टी के साथ किसी भी अनुबंध या व्यवस्था में शामिल नहीं होगी, केवल कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार सूचीबद्ध करार एवं लागू दिशानिर्देशों को छोड़कर, कॉनकॉर पार्टी से संबंधित सभी लेनदेनों हेतु केवल लेखापरीक्षा समिति द्वारा लिए गए बहुउद्देशीय अनुमोदन को छोड़कर, पूर्व अनुमोदन लेगा।

यदि कंपनी का लेनदेन सामान्य व्यवसाय नहीं है अथवा आस पास नहीं है तो इन स्थितियों में कंपनी अधिनियम 2013 के सभी प्रावधानों तथा इस संबंध में निर्धारित किए गए नियमों का पालन करेगी तथा ऐसे संविदा अथवा करार के लिए बोर्ड अथवा इसके शेयरहोल्डरों से अनुमोदन लेना होगा।

संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन मेटिरियल समझा जाएगा, अगर लेनदेन/होने वाला लेनदेन अलग-अलग या पहले लेनदेन के साथ वित्त वर्ष के दौरान किया गया, कॉनकॉर की वार्षिक समेकित टर्नओवर कंपनी के गतवर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण की अपेक्षा दस प्रतिशत से अधिक है।